mml- 03/10

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 28 / 9 /2022

क्रमांकःएफ 03-35/2021/10-1 :: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य वन सेवा परीक्षा वर्ष 2017-18 से वनक्षेत्रपाल के पद पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों द्वारा कर्नाटका वन प्रशिक्षण अकादमी, गुंगारगट्टी, धारवाड (कर्नाटक) में (सत्र 2020-2022) 18 माह का वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है। राज्य शासन एतद्द्वारा इन उम्मीदवारों को वनक्षेत्रपाल के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दिनांक 07.06.2022 से सातवें वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-9 (रूपये 36200-114800/-) के न्यूनतम वेतन में नियुक्त करता है :-

स.क्र.	वनक्षेत्रपाल का नाम
1	श्री ब्रजेश पाण्डे
2	श्री शौर्य खरे
3	श्री देवेन्द्र सिंह गुर्जर
4	श्री प्रतीक अग्रवाल
5	श्री विवेक सिंह बघेल
6	श्री संदीप कुमार गौतम
7	श्री अमितेष पवार

2/ परिवीक्षा अवधि के दौरान इन्हें वनक्षेत्रपाल पद हेतु नियत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

3/ यदि शासन की राय है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति के उपयुक्त अधिकारी बनने की संभावना नहीं है, तो परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा की कालावधि के दौरान किसी भी समय सेवामुक्त किया जा सकेगा।

4/ वनक्षेत्रपालों को कम से कम 05 वर्ष की सेवा राज्य में देनी होगी अन्यथा उम्मीदवार को प्रशिक्षण में जाने के पूर्व विहित प्रारूप में निष्पादित करारनामा एवं प्रशिक्षण बंधपत्र में उल्लेखित राशि जमा करनी होगी।

5/ परिवीक्षाधीन व्यक्ति राज्य में ऐसे और प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जैसा कि अधिकथित किया जाए और ऐसी विभागीय परीक्षाऐं उत्तीर्ण करेगा जैसा कि विहित की जाए।

6/ शासन के समाधानप्रद रूप में परिवीक्षा पूर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा में स्थायी किया जाएगा।

7/ राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। सेवा संबंधी मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाएं और उन्हें लागू किया जाये, के अधीन रहेंगे।

निरन्तर....2

अ.प्र.मु.व.सं. (सूचना प्रौद्योगिकी) मध्य प्रदेश, भोपाल

स्कूचना/प्र

8/ शासकीय सेवा में नियुक्ति पश्चात् सभी शासकीय सेवक स्वतः ही शासन के सभी नियम/निर्देशों, सेवा शर्तो से आबद्ध हुए माने जाते हैं तथा इनकी सेवाएँ म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अध्यधीन रहेंगी।

9/ इन नियुक्तियों में म.प्र. लोक सेवा आयोग (अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबन्धों का और अधिनियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

स्था-3

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया पुनवटकर)
अवर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

पृ0 कमांक एफ03-35/2021/10-1 भोपाल, दिनांक 29/9/2022

प्रतिलिपि-

1. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इन्दौर।
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.-II), म0प्र0 भोपाल।
5. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी वन म0प्र0 भोपाल।
7. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन मण्डलाधिकारी कार्यालय ....
8. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
9. संबंधित उम्मीदवार .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.-II), म0प्र0 भोपाल।
10. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

303
30.09.2022

Order LS Ahirwar

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0 भोपाल.

पृ0क्रमांक / प्रशा– ।।/ स्था.3. / व.क्षे.कक्ष / 5488 भोपाल,दिनांक 30/9/2022

प्रतिलिपि:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मा. सं. वि.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, कर्नाटक वन प्रशिक्षण अकादमी, गुगारभट्टी, धारवाड़ (कर्नाटक) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक छतरपुर / इन्दौर / जबलपुर / सागर / शहडोल / उज्जैन को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित वनक्षेत्रपाल को प्रति तामिल कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

30.09.22

(हरिशंकर मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा– ।।)
मध्यप्रदेश भोपाल

A.P.C.C.F.(I.T.)
M.P.BHOPAL